न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 53 / 2025

निर्णय दिनांक :–11.12.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. अजयवीर सिंह पुत्र पुरणवीर सिंह जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चंद शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 585 खसरा नम्बर 2037 / 1172 रकबा 0.2300 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.23 है0 वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की भूमि में आने जाने का कोई रास्ता नही है। प्रार्थी की भूमि व गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1175 / 1409 जो सिवायचक भूमि है, जिस पर गांव के कुछ गिरोहबंद प्रभावशाली लोगो ने कब्जा कर पक्का निर्माण करने की नियत से कब्जा करने पर आमदा है। प्रार्थी एवं उससे पूर्व का खातेदार इसी खसरा नम्बर से अपने पूर्वजों के समय से ही आता जाता रहा है तथा वर्तमान में भी इसी खसरा नम्बर से आता जाता है तथा उक्त रास्ता ही प्रार्थी की भूमि में जाने के लिये एकमात्र रास्ता है, इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगो ने उक्त सिवायचक भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थी को परेशान करते है तथा आये दिन गाली गलोच कर लड़ाई झगड़ा करते है। एवं प्रार्थी के कृषि वाहनो को लाने ले जाने में अड़चन पैदा कर लड़ाई झगड़ा करते रहते है, जिससे प्रार्थी की जमीन पड़त पड़ी हुई है। प्रार्थी को उक्त सिवायचक भूमि में से अपनी भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते का आंवटन करने हेतु न्यायहित में आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा रास्ते के अभाव में अपनी भूमि को काश्त नही

Ruby

करा पा रहा हूं जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगो द्वारा उक्त सिवायचक भूमि पर कब्जा करने की नियत से खेतों को जोतने हेतु ट्रेक्टर व अन्य कृषि यंत्रों को आने जाने नही दे रहे है, इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1175/1409 में से 30 फीट का रास्ता दिलाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है, जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी नियमानुसार व आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी भूमि खाता नम्बर 585 खसरा नम्बर 2037/1172 रकबा 0.2300 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.23 है0 वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1175/1409 सिवायचक भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:— प्रार्थी की आराजी खसरा न0 2037/1172 रकबा 0.23 है0 पर पहुंचने के लिये राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता रिकार्डेड रास्ता सरोली—दूनी स्टेट हाइवे ख0न0 1199 से जुड़ा हुआ है। आराजी ख0न0 1175/1409 रकबा 1.00 है0 किस्म सिवायचक में प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 9.15 मीटर एवं लम्बाई 84 मीटर यानि 768.60 वर्गमीटर है।

प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 7334000/— प्रति0 है0 है तथा डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 1127382 रूपये होगी। आवेदक की आराजी ख0न0 2037/1172 रकबा 0.23 है0 खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी जिस खसरा नम्बर 1175/1409 से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। आवेदन पत्र के अनुसार चाहा गया रास्ता की भूमि खसरा न0 1175/1409 रकबा 1.00 है0 किस्म सिवायचक है। प्रस्तावित

रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिया, मूल ट्रेस नक्शा, संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार दूनी ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी खसरा न0 2037/1172 रकबा 0.23 है0 पर पहुंचने के लिये राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय क्रमांक 481 दिनांक 29.10.2025 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार **खाता नम्बर 585 खसरा नम्बर 2037/1172 रकबा 0.2350 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.2350 है0 वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग हेतु खसरा न0 1175/1409 रकबा 1.00 है0 में प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 9.15 मीटर एवं लम्बाई 84 मीटर यानि 768.60 वर्गमीटर के लिये प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 7334000/— प्रति0 है0 है के अनुसार कुल 768.60 वर्गमीटर के लिये दुगुनी प्रतिकर राशि 1127382/— रूपये जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगुनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करे।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)